HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Second Appeal No. 446/2025

M/s Renu Gas Agency, Through Proprietor Ram Singh S/o Shri Jansi, Age 73 Years, R/o Opposite Jeevan Surgical Hospital, Jawahar Nagar Bajriya, Sawaimadhopur (Rajasthan).

----Appellant

Versus

General Public, Sawaimadhopur Through:

1. Ramesh Chand S/o Kanhaiyalal, Age 64 Years, R/o Patel Nagar, Sawaimadhopur (Deceased)

1/1. Amit Sharma S/o Ramesh Chand Sharma

1/2. Vishnu Sharma S/o Ramesh Chand Sharma
Both R/o Patel Nagar-B, Sawaimadhopur.

2. Shyamlal, S/o Mukut Bihari.
3. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Government Of Rajasthan, Jaipur.
4. District Collector, Sawaimadhopur.
5. District Supply Officer, Sawaimadhopur.
6. Tehsildar, Tehsil Sawaimadhopur.
7. General Manager, Indian Oil Corporation Ltd. Lpg, Division Ashok Chowk, Adarsh Nagar, Jaipur.
8. Area Manager, Indian Oil Corporation Ltd. Lpg, Division Ashok Chowk, Adarsh Nagar, Jaipur.
9. Deputy Chief Controller Of Explosive, Petroleum Explosives Safety Organisation Marg, Vaishali Nagar, Jaipur.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. R. A. Katta, Adv. Mr. Rahul Agrawal, Adv.
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

26/09/2025

अपीलार्थी की ओर से यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 100 सी.पी.सी. विद्वान जिला न्यायाधीश, सवाईमाधोपुर द्वारा दीवानी नियमित अपील

संख्या–59/2024 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से प्रतिवादी–अपीलार्थी की अपील खारिज की गई तथा विद्वान विचारण न्यायालय, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या–02, सवाईमाधोपुर द्वारा दीवानी वाद संख्या–742/2014 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2024 की पुष्टि की गई, जिसके माध्यम से एक माह के भीतर अपने गैस गोदाम को आबादी क्षेत्र से अन्यत्र शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि उनका गैस गोदाम कई वर्षों से मौके पर स्थित है, आबादी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने में युक्तियुक्त समय लगेगा, अतः अपीलाधीन आदेश की पालना हेतु छः माह का समय देते हुए अपील का निस्तारण किया जाने का निवेदन किया।

चूंकि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलार्थी अपने गैस गोदाम को शिफ्ट करने हेतु सहमत है, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किये बिना इस अपील का निस्तारण किया जाना उचित है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2025 की पालना हेतु आज से तीन माह का समय दिया जाता है और इस उपांतरण के साथ अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हुए यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर निस्तारित की जाती है। स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /101 (S)